**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 77 सन 2019

अनवान :–

1. अजयसिह पुत्र मोहनलाल जाति जाट साकिन 16 जेएसएन तहसील नोहर।

**बनाम**

1. देवीलाल पुत्र नारायण जाति जाट साकिन 16 जेएसएन तहसील नोहर।
2. अमीत चौधरी पुत्र अमरसिह जाति जाट साकिन 16 जेएसएन तहसील नोहर
3. मन्जुरानी 4 सुमन 5 पुष्पा पुत्रीया अमरसिह जाति जाट साकिन 16 जेएसएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. अमरसिह 7 मोहनलाल पि0 देवीलाल जाति जाट साकिन 16 जेएसएन तहसील नोहर
8. गायत्री पुत्री मोहनलाल जाति जाट साकिन 16 जेएसएन तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

**प्रतिवादीगण**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।**

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

**निर्णय दिनांक :– 22.02.2019**

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता संख्या 47/41 के प0न0 338/398(5) के किला न0 12 ,13 ,19 ता 21/1. 2400हैक प0न0 338/399(10) किला न0 1 ,2 ,9 /0.708हैक , मु0न0 88 के किला न0 19/0. 250हैक गै0मु0खाला कुल 2.049हैक तथा खाता संख्या 48/42 के प0न0 338/398(5) किला न0 11/0.228हैक प0न0 336/398(6) के किला न0 1 ता 15/3.6440हैक प0न0 88 मु0न0 12/1 की 0.151हैक गै0मु0 रास्ता किला न0 17 की 0.0250हैक गै0मु0 खाला कुल 4.0480हैक मे से अमरसिह व मोहनलाल के नाम दर्ज 80 हिस्सा तथा देवीलाल के नाम 40 हिस्सा भूमि तथा खाता संख्या 46/45 में प0न0 338/398(5) किला न0 10 की 1.00 बीधा जो देवीलाल वल्द निराणा के नाम दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पिता के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का

हक हिस्सा है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ,7 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ,7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 6 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ,7 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 47/41 में देवीलाल वलद नारायण के नाम दर्ज 2.049हैक भूमि में खाता संख्या 48/42 में देवीलाल वल्द नारायणराम के नाम दर्ज 40 हिस्सा व खाता संख्या 46/45 में देवीलाल के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

**अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी ( आर.ए.एस)**

अनवान :–

1. अजयसिह पुत्र मोहनलाल जाति जाट साकिन 16 जेएसएन तहसील नोहर।

**बनाम**

1 देवीलाल पुत्र नारायण जाति जाट साकिन 16 जेएसएन तहसील नोहर।
2 अमीत चौधरी पुत्र अमरसिह जाति जाट साकिन 16 जेएसएन तहसील नोहर
3 मन्जुरानी 4 सुमन 5 पुष्पा पुत्रीया अमरसिह जाति जाट साकिन 16 जेएसएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. अमरसिह 7 मोहनलाल पि0 देवीलाल जाति जाट साकिन 16 जेएसएन तहसील नोहर
8. गायत्री पुत्री मोहनलाल जाति जाट साकिन 16 जेएसएन तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

**प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 77 सन 2019 निर्णय दिनांक– 22.02.2019**

आज यह वाद मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 47/41 में देवीलाल वलद नारायण के नाम दर्ज 2.049हैक भूमि में खाता संख्या 48/42 में देवीलाल वल्द नारायणराम के नाम दर्ज 40 हिस्सा व खाता संख्या 46/45 में देवीलाल के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेग

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )